

आयकर

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह और माननीय न्यायमूर्ति आरएस नरुला के समक्ष

आयकर आयुक्त, पंजाब, हरियाणा,  
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और  
चंडीगढ़, पटियाला

- आवेदक।

बनाम

ललिता कपूर

— प्रतिवादी।

1966 का आयकर संदर्भ संख्या 49

11 मार्च, 1970

आयकर अधिनियम (1922 का XI) - धारा 18-ए (1) और (9) (ए), 63 (1) - सामान्य खंड अधिनियम 1897 (1897 का X) - धारा 27 - करदाता द्वारा प्रस्तुत पते पर भेजा गया पंजीकृत पावती देय नोटिस - एजेंट द्वारा प्राप्त नोटिस - ऐसे एजेंट को नियुक्त करने में लिखित में कोई साधन नहीं - नोटिस की सामग्री को करदाता को सूचित नहीं किया गया - ऐसी सेवा - क्या उचित है - सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुमान-क्या इसका खंडन किया गया है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत, जहां नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाता है, सेवा को प्रभावी माना जाना चाहिए यदि नोटिस को ठीक से संबोधित किया गया था, प्री-पेड किया गया था और पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट किया गया था और केवल यह तथ्य कि नोटिस की भौतिक डिलीवरी पताकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को की गई थी और एक व्यक्ति जिसके पास पताकर्ता की ओर से नोटिस प्राप्त करने के लिए लिखित में किसी साधन द्वारा कोई अधिकार नहीं था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि कोई उचित सेवा नहीं थी। हालांकि, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या इस धारणा को आगे के तथ्यों के प्रमाण द्वारा खारिज कर दिया गया है, उदाहरण के लिए जहां पत्र कभी भी पताकर्ता तक नहीं पहुंचता है या जहां यह पताकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है और

इसकी सामग्री करदाता को सूचित नहीं की जाती है। इस प्रकार ऐसे मामलों में धारा 27 के तहत अनुमान का खंडन किया जाता है और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 63 (1) के तहत निर्धारिती पर इस प्रकार लागू की गई सेवा अधिनियम के तहत एक वैध सेवा नहीं होगी।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली पीठ) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) के तहत संदर्भ। इसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नानुसार हैं -

- (1) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करदाता को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 18-ए (1) के तहत अग्रिम कर के भुगतान के लिए लिखित में आदेश दिया गया था?
- (2) यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या करदाता ने धारा 18-ए (9) (ए) के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी चूक की है, यह मानते हुए कि उसके द्वारा दायर अनुमान गलत था या उसके पास इसे असत्य मानने का कारण था?

डी.एन. अवस्थी, और बी.एस. गुप्ता, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए।

मुनेश्वर पुरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

### निर्णय

मेहर सिंह, सीजे - इस संदर्भ में मूल्यांकन वर्ष 1962-63 है, जिसमें लेखा वर्ष 31 मार्च, 1962 को समाप्त हो रहा है।

(2) करदाता के मामले में आकलन वर्ष 1959-60 के लिए आयकर का आकलन 16 जून, 1961 को या उससे पहले पूरा हो गया था, जिसमें उसकी कुल आय 12,000 रुपये निर्धारित की गई थी। 16 जून, 1961 को आयकर अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का अधिनियम 11) की धारा 18-ए (1) के तहत 12,000 रुपये के अग्रिम कर के भुगतान के लिए नोटिस दिया, जो आकलन वर्ष 1959-60 के लिए आयकर के लिए मूल्यांकन किए गए करदाता की कुल आय के अनुरूप है। नोटिस स्पष्ट रूप से वर्ष 1962-63 के संबंध में अग्रिम कर के भुगतान के लिए था। इस बीच, आकलन वर्ष 1960-61 के लिए करदाता द्वारा दाखिल रिटर्न को भी अंतिम रूप दिया गया और उस आकलन वर्ष के लिए करदाता की कुल आय 33,300 रुपये आंकी गई। वर्ष 1960-61 के इस दूसरे आकलन के मद्देनजर, आयकर अधिकारी ने 4 अगस्त, 1961 को अधिनियम की धारा 18-ए (1) के तहत एक संशोधित नोटिस जारी किया, जिसमें करदाता को आकलन वर्ष 1960-61 में अपनी कुल आय के निर्धारण के मद्देनजर अग्रिम

कर का भुगतान करने की आवश्यकता थी। जाहिर है कि यह संशोधित नोटिस आगामी आकलन वर्ष 1962-63 के संबंध में देय अग्रिम कर से संबंधित है।

(3) करदाता ने आयकर अधिकारी को अपना पता 'श्रीमती ललिता कपूर, हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी लिमिटेड, पठानकोट के माध्यम से' दिया था और 1922 के अधिनियम 11 की धारा 18-ए (1) के तहत उन्हें उस पते पर पंजीकृत कवर के तहत नोटिस भेजे गए थे। संशोधित नोटिस उन्हें उस पते पर उसी तरीके से भेजा गया था। यह 8 अगस्त, 1961 को हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक श्री नंदा द्वारा प्राप्त किया गया था, जिन्होंने पावती रसीद पर सहमति व्यक्त की थी, इस पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का निष्कर्ष यह था कि उन्हें पंजीकृत पत्र 'हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से, न कि निर्धारिती की ओर से' प्राप्त हुआ था।

(4) 17 दिसंबर, 1961 को करदाता ने अपनी आय के अपने अनुमान पर अग्रिम कर के रूप में 13,000 रुपये का भुगतान किया, और ऊपर उल्लिखित नोटिस पर इसे 12000 रुपये के आंकड़े पर आधार नहीं बनाया है, आकलन वर्ष 1962-63 के लिए आयकर रिटर्न में, करदाता ने आयकर के प्रयोजनों के लिए 32,083 रुपये की आय का खुलासा किया और उस आंकड़े आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 43) की धारा 143 (1) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया।

(5) 1 मई, 1963 को आयकर अधिकारी ने 1961 के अधिनियम 43 की धारा 274 के तहत नोटिस जारी किया कि 1922 के अधिनियम 11 की उप-धारा (2) धारा 18-ए के तहत उसके द्वारा देय कर का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए करदाता पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, जिसे उसके पास उस अधिनियम की धारा 18-ए उप-धारा (9) के संबंध में असत्य मानने का कारण था। आयकर अधिकारी ने 1961 के अधिनियम 43 की धारा 297 (2) (जी) के मद्देनजर करदाता की ओर से एक आपत्ति को खारिज कर दिया कि 1961 के अधिनियम 43 की धारा 273 के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने करदाता की ओर से दी गई इस दलील को खारिज कर दिया कि करदाता को पंजीकृत कवर के माध्यम से सेवा नहीं दी गई थी और कहा कि श्री नंदा को अतीत में करदाता की ओर से इसी तरह के नोटिस प्राप्त हुए थे और इसलिए पंजीकृत कवर की डिलीवरी उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की मांग के बारे में पर्याप्त नोटिस थी, जैसा कि वह नोटिस 4 अगस्त, 1961 को दिया गया था। इसलिए उन्होंने 1 मई, 1963 के अपने आदेश के माध्यम से अनुलग्नक 'ए' की प्रति देते हुए 1922 के अधिनियम 11 की धारा 18-ए (1) के

तहत दिए गए नोटिस के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान करने में चूक के लिए करदाता पर 563 रुपये का जुर्माना लगाया। उनकी अपील पर आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त ने 22 अगस्त, 1963 को उस अपील को खारिज कर दिया। आगे की अपील पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने नीचे दिए गए दो आयकर अधिकारियों के आदेशों को उलट दिया और यह पाते हुए कि करदाता को नोटिस वैध रूप से नहीं दिया गया था, उस पर जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया, दूसरी अपील में ट्रिब्यूनल का यह आदेश 18 फरवरी, 1964 का था। उस पर आयकर आयुक्त, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पटियाला ने ट्रिब्यूनल से इस न्यायालय को इन प्रश्नों के 1961 के अधिनियम 43 की धारा 250 (1) के तहत एक संदर्भ प्राप्त किया है-

1. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करदाता को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 18-ए (1) के तहत अग्रिम कर के भुगतान के लिए लिखित में आदेश दिया गया था?
2. यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या करदाता ने धारा 18-ए (9) (ए) के तहत दंडित होने के लिए चूक की है, यह मानते हुए कि उसके द्वारा दायर अनुमान गलत था या उसके पास इसे असत्य मानने का कारण था?

ट्रिब्यूनल द्वारा संदर्भ का आदेश 2 अगस्त, 1966 का है।

(6) 1922 के अधिनियम 11 की धारा 63 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि "इस अधिनियम के तहत नोटिस या मांग, उस व्यक्ति को डाक द्वारा या, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) के तहत किसी अदालत द्वारा समन जारी किया जाता है उसी रूप में" दिया जा सकता है। ट्रिब्यूनल की राय थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 9 और 12, और आदेश 3, नियम 2, 3 और 6 के तहत, किसी पार्टी के एजेंट पर समन की सेवा केवल तभी वैध है जब एजेंट की नियुक्ति लिखित रूप में एक साधन द्वारा की गई हो और मौखिक अधिकार पर्याप्त नहीं है। वर्तमान मामले में लिखित रूप में किसी भी दस्तावेज ने श्री नंदा को करदाता के एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया है ताकि वह उसके लिए या उसकी ओर से सेवा स्वीकार कर सके या प्राप्त कर सके। 1922 के अधिनियम 11 की धारा 63 की उप-धारा (1) के तहत जब किसी करदाता को नोटिस या मांग की वैकल्पिक सेवा डाक द्वारा दी जाती है, तो ट्रिब्यूनल की राय थी कि यदि ऐसी सेवा किसी करदाता के एजेंट को की जानी है, तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 और 12, और आदेश 3, नियम 2, 3 और 6 के समान की जानी चाहिए, दूसरे शब्दों में, सेवा स्वीकार करने के लिए निर्धारित द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किए बिना एक

एजेंट, डाक द्वारा भी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता है। ट्रिब्यूनल ने तथ्यों पर इस तरह से फैसला किया- "हमने माना कि चूंकि श्री पीसी नंदा सेवा की स्वीकृति के लिए करदाता के अधिकृत एजेंट नहीं थे, इसलिए यह एक वैध सेवा नहीं थी, भले ही यह तर्क के लिए माना गया हो कि वह आदतन उनकी ओर से नोटिस प्राप्त कर रहे थे। हमने यह भी कहा कि श्री नंदा ने नोटिस नहीं दिया और न ही इसकी सामग्री के बारे में करदाता को बताया।" इसलिए ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष यह था कि करदाता के पास 1922 के अधिनियम 11 की धारा 18-ए (1) के तहत कोई नोटिस नहीं था। आयकर आयुक्त के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि ट्रिब्यूनल ने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम 10) की धारा 27 पर विचार नहीं किया है, जिसमें लिखा है- "जहां इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन किसी भी दस्तावेज की सेवा डाक द्वारा पूरा करने के लिए अधिकृत या आवश्यक करता है; यदि अभिव्यक्ति 'सेवा' का इस्तेमाल किया जाता है या 'देने' या 'भेजने' या किसी अन्य अभिव्यक्ति में से किसी एक का उपयोग किया जाता है, तो जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, सेवा को दस्तावेज युक्त एक पत्र को पंजीकृत डाक द्वारा उचित रूप से संबोधित करने, पूर्व-भुगतान और पोस्टिंग द्वारा प्रभावी माना जाएगा और जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो; यह उस समय प्रभावी होना माना जाएगा जब पत्र पोस्ट के सामान्य पाठ्यक्रम में वितरित किया गया।" विद्वान वकील ने आग्रह किया कि 1922 के अधिनियम 11 की धारा 63 के प्रावधानों के मद्देनजर जल्द से जल्द और करदाता द्वारा दिए गए स्वयं के पते पर आयकर अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 18-ए (1) के तहत नोटिस वाला एक पत्र भेजा, जिसे उचित रूप से संबोधित किया गया और प्री-पेड किया गया था, उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, सेवा को उस पर प्रभावी माना जाएगा और इसलिए इस मामले में सेवा उस पर विधिवत रूप से लागू की गई थी जिस दिन पंजीकृत पत्र, उसके द्वारा दिए गए पते, हिंदुस्तान वन कंपनी लिमिटेड, पठानकोट के कार्यालय पर वितरित किया गया था। विद्वान वकील **आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम मालचंद सुराना (1)**<sup>1</sup> पर भरोसा किया है जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के तहत, जहां आयकर अधिनियम के तहत एक नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाता है, सेवा को प्रभावित माना जाना चाहिए यदि नोटिस को ठीक से संबोधित किया गया था, प्रीपेड किया गया था और पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट किया गया था, और

---

<sup>1</sup>(1) (1955) 28 I.T.R. 684.  
(2) A.I.R. 1918 P.C. 102.  
(3) (1968) 21 S.T.C. 445.

केवल यह तथ्य कि नोटिस का भौतिक वितरण पताकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया गया था और एक व्यक्ति जिसके पास पताकर्ता की ओर से पत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि कोई उचित सेवा नहीं हुई थी ; विद्वान न्यायाधीशों ने आगे कहा कि यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या इस धारणा को आगे के कृत्यों के प्रमाण से खारिज कर दिया गया है, और इस तरह के आगे के तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी करदाता पर है। विद्वान न्यायाधीश ने **हरिहर बनर्जी बनाम रामशशि रॉय (2)** के दृष्टिकोण को अपनाया जिसका **भारत ग्लास फैक्ट्री बनाम बिक्री कर अधिकारी, द्वितीय इलाहाबाद (3)** में भी पालन किया गया है। वर्तमान मामले में, 1922 के अधिनियम 11 की धारा 63 (1) की शर्तों में, उस अधिनियम की धारा 18-ए (1) के तहत नोटिस डाक द्वारा पंजीकृत कवर के तहत उचित रूप से संबोधित किया गया था और करदाता द्वारा दिए गए पते पर प्रीपेड किया गया था। इसलिए 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 की शर्तों को पूरा किया गया था और उसे नोटिस देने की अवधि को उस पते पर पत्र वितरित किए जाने की तारीख को माना जाना चाहिए। अब तक आयकर आयुक्त के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए मामले उनकी स्थिति का समर्थन करते हैं। हालांकि, करदाता के वकील का जवाब यह है कि 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा एक खंडन योग्य धारणा है और **मालचंद सुराना के मामले (1)** में, विद्वान न्यायाधीशों ने उतना ही कहा। वह रिपोर्ट के पृष्ठ 694 पर विद्वान न्यायाधीशों की इस टिप्पणी का उल्लेख करता है, जब विद्वान न्यायाधीशों ने हरिहर बनर्जी के मामले (2) का संदर्भ दिया था।

“स्वामी और सेवक के उनके लॉर्डशिप द्वारा दिए गए चित्रण में यह माना गया है कि डिलीवरी वास्तव में मालिक को की गई थी, हालांकि पावती रसीद पर एक अलग व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन एक ऐसा मामला हो सकता है जब पत्र कभी भी पताकर्ता तक नहीं पहुंचा। ऐसे मामले में, सेवा के प्रभाव से बचने की मांग करने वाले प्रेषक द्वारा साबित किए गए तथ्यों द्वारा अनुमान के खंडन के लिए जगह बचेगी और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या अनुमान को आगे के तथ्यों के प्रमाण द्वारा खारिज किया गया था या नहीं।” पेज नंबर 695 पर एक बार फिर कहा गया है, 'ट्रिब्यूनल ने करदाता की जिस दलील को स्वीकार किया है वह यह है कि भाई ने नोटिस में दी गई जानकारी के बारे में उसे कभी नहीं बताया। वास्तव में इसका क्या अर्थ है या संभवतः इसका क्या अर्थ हो सकता है, कोई भी समझाने में सक्षम नहीं था। क्या इसका मतलब यह था कि भाई ने कवर खोला था और नोटिस पढ़ा था और करदाता को यह बताते हुए कि आयकर विभाग से एक नोटिस प्राप्त हुआ था,

उसे यह नहीं बताया कि नोटिस की सामग्री क्या थी? यदि ऐसा तथ्य है तो यह अधिनियम की धारा 27 के तहत जांच का विषय होगा कि क्या आयकर विभाग से नोटिस मिलने की सूचना मिलने पर करदाता को नोटिस को अपने कब्जे में लेने या इसकी सामग्री के बारे में खुद को सूचित करने या नोटिस का अनुपालन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण बताने से पहले इस संबंध में कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 के तहत एक प्रश्न के रूप में विचार करते हुए, ट्रिब्यूनल को यह पता लगाना होगा कि तथ्य क्या थे, अर्थात्, क्या करदाता को नोटिस की सेवा के बारे में पता चला था या क्या यह जानने के बाद कि कुछ नोटिस दिया गया था, उसने आगे कोई जांच नहीं की थी और क्या उसे सूचित नहीं किया गया था कि नोटिस में क्या है और क्या धारा द्वारा उठाया गया अनुमान का पाए गए तथ्यों के सकारात्मक या नकारात्मक साबित होने के कारण खंडन किया गया था। उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने अंत में यह तय करने के लिए ट्रिब्यूनल पर छोड़ दिया कि 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के तहत अनुमान का खंडन किया गया था या नहीं। आयकर आयुक्त के विद्वान वकील ने अब यही रुख अपनाया है कि मालचंद सुराना के मामले (1) की तरह इस मामले में भी यह सवाल कि 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के तहत अनुमान का खंडन किया गया है या नहीं, न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ऊपर वर्णित परिस्थितियों में और उस अधिनियम की धारा 27 के अर्थ और दायरे के भीतर पंजीकृत कवर द्वारा करदाता पर सेवा के उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया है। मालचंद सिराना के मामले (1) में, ट्रिब्यूनल ने तथ्यों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया था। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने 18 फरवरी, 1964 के अपने अपीलिय आदेश साथ ही संदर्भ आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी लिमिटेड, पठानकोट के श्री नंदा ने नोटिस नहीं दिया या इसकी सामग्री को करदाता को सूचित नहीं किया। इसलिए श्री नंदा को जो पंजीकृत पत्र प्राप्त हुआ था, वह न तो उनके द्वारा करदाता को दिया गया था और न ही सूचित किया गया था। इस संबंध में आयकर आयुक्त के वकील का कहना है कि आयकर आयुक्त के लिए यह दिखाना अभी भी संभव हो सकता है कि हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी लिमिटेड, पठानकोट के परिसर में कहीं यह पत्र पड़ा हुआ था और करदाता के लिए आसानी से सुलभ था, ताकि ट्रिब्यूनल द्वारा तथ्य के उपरोक्त निष्कर्षों के बावजूद करदाता अभी भी उस पर 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के संदर्भ में पंजीकृत डाक द्वारा उस पर सेवा द्वारा उठाए गए अनुमान का खंडन करने के बोझ का निर्वहन करने में विफल हो सकता है। लेकिन आयकर आयुक्त की ओर से नीचे किसी भी प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई बात कभी नहीं कही गई या आरोप नहीं लगाया गया। करदाता के वकील बताते हैं कि यह पहली

बार है कि यह मामला आयकर आयुक्त के पक्ष में उठाया गया है, और, हालांकि ट्रिब्यूनल ने इस मामले को नहीं देखा है, आयकर आयुक्त के विद्वान वकील आग्रह करते हैं कि 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के संदर्भ में एक तर्क ट्रिब्यूनल को संबोधित किया गया था। इसलिए मालचंद सुराना के मामले (1) के विपरीत, वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट शब्दों में तथ्य के निष्कर्ष दिए हैं कि पंजीकृत पत्र, जिसमें 1922 के अधिनियम 11 की धारा 18-ए (1) के तहत नोटिस शामिल है, हिंदुस्तान फॉरेस्ट कंपनी लिमिटेड, पठानकोट के श्री नंदा द्वारा प्राप्त, हालांकि, करदाता को ठीक से संबोधित किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे यह पत्र नहीं दिया और न ही उसे सूचित किया। तथ्य के ये निष्कर्ष उस धारणा का खंडन करते हैं जिस पर आयकर आयुक्त के विद्वान वकील 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के तहत भरोसा करते हैं। आयकर आयुक्त के वकील ने कहा कि विचारार्थ आदेश में न्यायाधिकरण ने उस अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख नहीं किया है, और पहले प्रश्न का उत्तर केवल संदर्भ की शर्तों तक ही सीमित होना चाहिए, लेकिन सेठ बालकिशन दास बनाम आयकर आयुक्त, पटियाला (4)<sup>2</sup> में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जहां तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है, जैसा कि इस मामले में है, इस न्यायालय के लिए इसके दायरे के संबंध में प्रश्न का उत्तर देने का विकल्प खुला है। वर्तमान मामले में, पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि इसमें 1897 के अधिनियम 10 की धारा 27 के तहत उपर्युक्त विचारों को ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों के साथ लिया गया है। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

(7) 1922 के अधिनियम 11 की धारा 18-ए (9) (ए) के तहत जुमनि के संबंध में, इस मामले में करदाता पर, यदि उसे उस अधिनियम की धारा 18-ए की उप-धारा (2) के अनुसार अपनी आय का अनुमान प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, तो केवल स्पष्ट रूप से उपधारा (9) के प्रावधान आकर्षित होंगे। उस धारा की उपधारा (2) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस धारा की उपधारा (1) के तहत एक आदेश द्वारा कर का भुगतान करने वाले करदाता को अपनी आय का अनुमान देना है और स्पष्ट रूप से 'आवश्यक' का अर्थ है 'उचित नोटिस द्वारा आवश्यक'। पहले सवाल का जवाब नकारात्मक है और उस अधिनियम की धारा 18-ए की उपधारा (1) के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए करदाता को, उस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित एक अनुमान पर, कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए अनुभाग की उप-धारा (9) के दंड प्रावधान को आकर्षित नहीं किया गया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक है।

(8) संदर्भ में दोनों सवालों के जवाब नकारात्मक में दिए गए हैं, आयकर आयुक्त करदाता की लागत वहन करेंगे, वकील का शुल्क 250 रुपये है।

आर.एस. नरूला, जे.-में सहमत हूँ।<sup>3</sup>

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

बेनिका  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
(Trainee Judicial Officer)  
हरियाणा

---

<sup>3</sup> एन०के०एस